रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1359] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 2013/ज्येष्ठ 25, 1935
No. 1359] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 2013/JYAISTHA 25, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2013

का.आ. 1695(अ.).—यतः, मै. गीगाप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य के एमआईडीसी नोलेज पार्क, ग्राम एरोली एवं दिघे, जिला थाने में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और इसे उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 6 जनवरी, 2012 को अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है, जिसे दिनांक 11 अप्रैल 2013 को संशोधित किया गया;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

तालिका

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एरोली	145 (भाग)	0.264
2	"	146(भाग)	3.552
3	"	147(भाग)	0.416
4	"	148(भाग)	0.184
5	"	149(भाग)	0.190
6	"	153(भाग)	0.118
7	दिघे	195(भाग)	0.641
8	"	208(भाग)	0.662
9	"	209(भाग)	0.252
10	"	210	0.582
11	"	211	0.266
12	"	212	0.286
13	"	213	0.096
14	"	214	0.368
15	"	215	0.396
16	"	216	0.218
17	"	217	0.109
18	"	218	0.035
19	"	219	0.056
20	"	220	0.526
21	"	221	0.688
22	"	222	0.212
23	"	223(भाग)	0.219
24	"	224(भाग)	0.125
25	"	228(भाग)	0.229
26	"	229(भाग)	0.782
27	"	323	0.157
28	"	324	0.111
		कुल	**11.74 हेक्टेयर**

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:–

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप–सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 11 जून, 2013 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/5/2011–एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2013

S. O. 1695(E).—Whereas, M/s. Gigaplex Estate Private Limited, a private organization, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. IT-5, Airoli Knowledge Park-TTC Industrial Area, Villages Airoli and Dighe, District Thane in the State of Maharashtra;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 6th January, 2012; amended on 11 April, 2013;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

Serial No.	**Village**	**Survey Number**	**Area (in hectares)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Airoli	145 (part)	0.244
2.	"	146 (part)	3.552
3.	"	147 (part)	0.416
4.	"	148 (part)	0.184
5.	"	149 (part)	0.190
6.	"	153 (part)	0.118
7.	Dighe	195 (part)	0.641
8.	"	208 (part)	0.662
9.	"	209 (part)	0.252
10.	"	210	0.582
11.	"	211	0.266
12.	"	212	0.286
13.	"	213	0.096
14.	"	214	0.368
15.	"	215	0.396
16.	"	216	0.218
17.	"	217	0.109
18.	"	218	0.035
19.	"	219	0.056
20.	"	220	0.526
21.	"	221	0.688
22.	"	222	0.212
23.	"	223 (part)	0.219
24.	"	224 (part)	0.125
25.	"	228 (part)	0.229
26.	"	229 (part)	0.782
27.	"	323	0.157
28.	"	324	0.111
		TOTAL	**11.74 Hectares**

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member *ex officio;*
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member *ex officio;*
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member *ex officio;*
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member *ex officio;*
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member *ex officio;*
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member *ex officio;*
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 11th day of June, 2013 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/5/2011-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy .

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054